संख्या- 02 /2020/174/अस्सी-2-2020-100(9)/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त् जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 13 मई , 2020**

विषय:- उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति 2019 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है-

1. क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहनः-

1.1 यह प्रोत्साहन धनराशि क्लस्टर में उत्पादित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु क्लस्टर के निकट दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के बाद नई स्थापित प्रसंस्करण इकाई/पैक हाउस/शीतगृह/राइपेनिंग चैम्बर्स आदि को देय होगी, जो उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति 2019 के अनुलग्नक-1 में सम्मिलित कृषि जिन्सों अथवा नीति के प्रस्तर 6.2.1 द्वारा सम्मिलित कृषि जिन्सों को क्रय कर मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात करेंगें।

1.2 यह प्रोत्साहन किसी भी अन्य योजना/नीति के अन्तर्गत प्रदान/प्राप्त किये गये प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगा।

1.3 यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्नओवर के 10 प्रतिशत अथवा रू0 25 लाख, जो भी कम हो निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षो तक वार्षिक गणना के आधार पर प्रतिवर्ष दिया जायेगा।

1.4 यह प्रोत्साहन धनराशि नई स्थापित प्रसंस्करण इकाई के उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से निर्यात होने के पश्चात निर्यात दायित्व् सिद्ध होने के उपरान्त दी जायेगी।

1.5 प्रोत्साहन राशि के लिए वर्ष की गणना वित्त वर्ष के अनुसार की जाएगी।

1.6 इस प्रोत्साहन धनराशि के आवेदनो पर अन्तिम निर्णय राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति द्वारा लिया जाएगा।

1.7 आवेदन पत्र की प्राप्ति :-

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की नवीन स्थापित इच्छुक प्रसंस्करण इकाईयों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर आवेदन वांछित अभिलेखो सहित (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं पृष्ठ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या डाल कर) क्लस्टर सुविधा इकाई के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे। सदस्य सचिव सत्यापन करते हुए आख्या अध्यक्ष,क्लस्टर सुविधा इकाई के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी (कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0) को 15 दिनों में प्रस्तुत करेंगे।

1.8 आवेदन प्रत्र के साथ वांछित अभिलेख :-

1.8.1 निर्धारित रूप पत्र (एनेक्जर-1) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र।

1.8.2 DGFT कार्यालय द्वारा जारी किये गये इम्पोर्टर-एक्सपोर्टर कोड (IEC) की प्रति।

1.8.3 एपीडा से RCMC (Registration cum Membership Certificate) रजिस्ट्रेशन की प्रति।

1.8.4 संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल्स आफ एसोशिएसन और समिति का बाइ-लाज (यदि लागू हो)/पार्टनरशिप डीड इत्यादि। प्रोपराइटर फर्म की स्थिति में घोषणा पत्र।

1.8.5 संस्था/संगठन के आवेदन हस्ताक्षरकर्ता का प्राधिकृत होने विषयक अधिकृत पत्र।

1.8.6 संगठन के आफिस बियरर/प्रमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायोडेटा।

1.8.7 निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-2) पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं चार्टर्ड इंजीनियर से इकाई का उत्पादन एवं क्षमता का प्रमाणित विवरण।

1.8.8 निर्यात दायित्व के निर्धारण हेतु निर्यात की गयी मात्रा के सम्बन्ध में शिपमेन्ट बिल/एयर वे बिल की प्रति एवं ई0जी0एम0 (Export General Manifest) सहित उपलब्ध कराने पर निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा।

1.8.9 प्रसंस्करण इकाई द्वारा क्रय किये गये कृषि उत्पाद की मात्रा के निर्धारण हेतु मण्डी समिति के प्रप 6 आर/ 9 आर के अनुसार आगणन पत्र।

1.8.10 प्रसंस्करण इकाई द्वारा प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद की न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यातित मात्रा के आंकलन के सम्बन्ध में इकाई द्वारा प्रस्तुत उत्पादन एवं बिक्री/ प्रेषण सम्बन्धी अभिलेख जो जनपदीय क्लस्टर सुविधा इकाई के सदस्य सचिव द्वारा सत्यापित हो।

1.8.11 निर्धारित रूप पत्र पर घोषणा पत्र (एनेक्जर-4) ।

1.9 धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया:-

आवेदन पत्र निर्धारित एनेक्जर-1 एवं एनेक्जर-2 सहित वांछित प्रपत्रो एवं अभिलेखों सहित जनपदीय क्लस्टर सुविधा इकाई से प्राप्त होने के पश्चात नोडल एजेंसी द्वारा राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में आनलाईन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से वितरित की जाएगी।

2. निर्यात उन्मुख क्लस्टर को अतिरिक्त प्रोत्साहन:-

2.1 यह प्रोत्साहन राशि एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0/किसान समूह अथवा समिति को ही अनुमन्य है।

2.2 यह प्रोत्साहन क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर सम्बन्धित संस्था को ही निर्यात एवं अच्छी कृषि पद्धति के सम्बन्ध में प्रसार हेतु नीति के प्रस्तर 6.2.3.1 के अनुसार 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के क्लस्टर को 5 वर्षो में रुपया 10 लाख एवं नीति के प्रस्तर 6.2.3.1 की तालिकानुसार क्लस्टर का क्षेत्रफल बढ़ने पर धनराशि में रुपये 6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाख की बढ़ोत्तरी अनुमन्य होगी। इसमें से प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष आगामी चार वर्ष तक निर्यात होने पर दिया जायेगा।

2.3 इस नीति के अन्तर्गत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए, यह भूमि 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरन्तरता में हो,जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

2.4 निर्यात क्लस्टर की चिन्हांकित कृषि जिन्सों के नाम जो उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति 2019 के अनुलग्नक-1 में सम्मिलित हो अथवा नीति के प्रस्तर 6.2.1 द्वारा सम्मिलित की गयी कृषि जिन्स के उत्पादन एवं निर्यात की दशा में यह प्रोत्साहन अनुमन्य होगा।

2.5 प्रोत्साहन राशि के लिए वर्ष की गणना कृषि वर्ष के अनुसार की जाएगी।

2.6 इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए क्लस्टर द्वारा उत्पादित कृषि जिन्स का स्थानीय उत्पादकता के आधार पर कुल उत्पादन का न्यूनतम 30 प्रतिशत मात्रा में निर्यात करना आवश्यक होगा।

2.7 क्लस्टर के कुल उत्पादन का आंकलन स्थानीय उत्पादकता (कृषि विभाग/उद्यान विभाग/ सम्बन्धित विभाग के उत्पादन आकडों के अनुसार) के आधार पर किया जाएगा।

2.8 आवेदन पत्र की प्राप्ति :-

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0/किसान समूह अथवा समिति के अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर आवेदन वांछित अभिलेखो सहित (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं पृष्ठ संख्या डाल कर) जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई को प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा क्लस्टर के भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय कमेटी (एक सदस्य सचिव,एक सम्बन्धित कृषि जिन्स के विभाग का सदस्य एवं एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित) गठित करते हुए क्लस्टर का निरीक्षण/सत्यापन आख्या संस्तुति के साथ आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, मण्डल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति को प्रस्तुत करेंगें।

2.9 आवेदन प्रत्र के साथ वांछित अभिलेख :-

2.9.1 निर्धारित रूप पत्र (एनेक्जर-3) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र।

2.9.2 संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल्स आफ एसोशिएशन और समिति का बाइ-लाज (यदि लागू हो)।

2.9.3 संस्था/संगठन के आवेदन हस्ताक्षरकर्ता का प्राधिकृत होने विषयक अधिकृत पत्र।

2.9.4 संगठन के आफिस बियरर/प्रमोटर का स्वाहस्ताक्षरित बायोडेटा।

2.9.5 निर्यात दायित्व के निर्धारण हेतु निर्यात की गयी मात्रा के सम्बन्ध में शिपमेन्ट बिल/एयर वे बिल की प्रति एवं ई0जी0एम0 (Export General Manifest) सहित उपलब्ध कराने पर निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा।

2.9.6 कृषक संगठन के सदस्य कृषको का विवरण भूमि के क्षेत्रफल सहित।

2.9.7 कुल उत्पादित कृषि उत्पाद की मात्रा एवं निर्यातित मात्रा का विवरण।

2.9.8 निर्धारित रूप पत्र पर घोषणा पत्र (एनेक्जर-4) ।

2.10 धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया:-

आवेदन पत्र निर्धारित एनेक्जर-3 , वांछित प्रपत्रो एवं अभिलेखों सहित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई से प्राप्त होने के पश्चात मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, मण्डल स्तरीय कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्यात निगरानी समिति द्वारा प्रकरणों पर परीक्षणोंपरान्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय मण्डलीय अधिकारी/सदस्य सचिव मण्डल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के राजस्व मण्डलों में धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में आनलाईन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से वितरित की जाएगी।

3. निर्यात हेतु परिवहन अनुदान:-

3.1 इस नीति के अन्तर्गत ऐसे समस्त निर्माता निर्यातक एवं मर्चेन्ट निर्यातक पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से कृषि उत्पाद का निर्यात करेंगे व एपीडा के अन्तर्गत पंजीकृत होंगे।

3.2 परिवहन अनुदान हेतु वर्ष की गणना वित्तीय वर्ष के अनुसार की जाएगी।

3.3 परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा।

3.4 परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) की दरों का निर्धारण निम्नवत् है:-

क) वायु मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 10 (रूपया दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

ख) जल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 05 (रूपया पाँच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाडे का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10 लाख प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा।

3.5 परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है।

3.6 कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर शक्ति प्राप्त समिति (इम्पावर्ड कमेटी) के द्वारा उक्त परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/ सडक मार्ग/ जल मार्ग) का अनुमोदन दिया जायेगा।

3.7 आवेदन पत्र की प्राप्ति :-

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इच्छुक निर्यातक/उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर आवेदन वांछित अभिलेखो सहित (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं पृष्ठ संख्या डाल कर) राज्य नोडल एजेंसी (कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0) को प्रस्तुत करेंगे। यथा समय इसके लिए आनलाईन आवेदन निस्तारण पोर्टल का विकास किया जाएगा।

3.8 परिवहन अनुदान हेतु वांछित अभिलेख:-

3.8.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर (एनेक्जर-5) पर।

3.8.2 DGFT कार्यालय द्वारा जारी किये गये इम्पोर्टर-एक्सपोर्टर कोड (IEC) की प्रति।

3.8.3 एपीडा से RCMC (Registration cum Membership Certificate) रजिस्ट्रेशन की प्रति।

3.8.4 निर्यात की गयी मात्रा हेतु शिपमेन्ट बिल/एयर बिल की प्रति।

3.8.5 कस्टम विभाग द्वारा जारी ई0जी0एम0 (Export General Manifest) की प्रति।

3.8.6 निर्धारित रूप पत्र पर घोषणा पत्र (एनेक्जर-6) ।

3.9 **धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया:-**

आवेदन पत्र निर्धारित एनेक्जर-5 ,वांछित प्रपत्रो एवं अभिलेखों सहित प्राप्त होने के पश्चात नोडल एजेंसी द्वारा राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में आनलाईन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से वितरित की जाएगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कृषि निर्यात/ पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/ डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहन:-

4.1 कृषि निर्यात और पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/ सरकारी संस्थानों में वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 0.50 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा।

4.2 पन्द्रह महीने से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 1.0 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा।

4.3 उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले राजकीय संस्थानों को एक मुश्त रूपया 50 लाख अनुदान दिया जायेगा ।

4.4 उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी छात्र ही इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के पात्र होंगे।

4.5 छात्रों की वार्षिक फीस में यह अनुदान विश्वविद्यालय/संस्था से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त् करने के बाद दिया जायेगा कि लाभार्थी छात्र द्वारा किसी अन्य स्रोत/विभाग से वार्षिक फीस में कोई छात्रवृत्ति /अनुदान नहीं लिया गया है।

4.6 छात्रों की वार्षिक फीस में यह अनुदान विश्वविद्यालय/संस्था के माध्यम से दिया जायेगा।

4.7 उच्च शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण अवधि के डिग्री/मास्टर्स डिग्री/पी0एच0डी0 के दिनांक 13 सितम्बर,2019 के पश्चात नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर ही अनुदान देय होगा।

4.8 उच्च शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रमों में कम से कम 25 छात्रों की अनिवार्यता होगी।

4.9 अनुदान राशि के लिए वर्ष की गणना शैक्षणिक वर्ष के अनुसार की जाएगी।

4.10 आवेदन पत्र की प्राप्ति :-

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इच्छुक उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/ सरकारी संस्थानों के द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन वांछित अभिलेखो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं पृष्ठ संख्या डाल कर) जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई को प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई तीन सदस्यीय कमेटी (एक सदस्य सचिव) गठित करते हुए निरीक्षण/सत्यापन आख्या संस्तुति के साथ आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, मण्डल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति को प्रस्तुत करेंगें।

4.11 आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख:-

<u>अ) फीस में अनुदान हेतु आवश्यक प्रपत्र</u>

i) निर्धारित रूप पत्र (एनेक्जर-7) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र ।

ii) कोर्स चलाने की मान्यता के सम्बन्ध में सक्षम स्तर द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र।

iii) कोर्स की अवधि व पाठयक्रम का विवरण।

iv) प्रत्येक पाठ्यक्रम वार छात्रो की संख्या का प्रमाण पत्र।

V) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा फीस में अनुदान हेतु अर्ह छात्रो के चयन के मापदंड व प्रक्रिया।

<u>ब) उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु एक मुश्त 0 50.00 लाख अनुदान हेतु आवश्यक प्रपत्र</u>

i) निर्धारित रूप पत्र (एनेक्जर-8) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii) कोर्स संस्था द्वारा स्वप्रमाणित Detailed Project Report (DPR) ।

iii) नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय की प्रति।

iv) कोर्स चलाने की मान्यता सम्बन्धी प्रपत्र।

V)कोर्स की अवधि व पाठयक्रम का विवरण।

vi) अनुदान उपभोग हेतु प्रस्तावित व्यय मदों का मदवार विवरण।

4.12 धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया:-

आवेदन पत्र निर्धारित एनेक्जर-7 अथवा 8 (यथा लागू) , वांछित प्रपत्रो एवं अभिलेखों सहित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई से प्राप्त होने के पश्चात मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, मण्डल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति द्वारा प्रकरणों पर परीक्षणोंपरान्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय मण्डलीय अधिकारी/सदस्य सचिव मण्डल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के राजस्व मण्डलों में धनराशि लाभार्थी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के बैंक खाते में आनलाईन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से वितरित की जाएगी।

5. कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विर्निदिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति 2019 के प्राविधानानुसार छूट प्रदान करने की अधिसूचना पृथक से जारी की जायेगी।

6. नोडल एजेंसी द्वारा राज्य में निर्यात उन्मुख बाज़ार परिज्ञान प्रणाली को सुविधाजनक बनाने, विकसित करने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हितधारकों के बीच प्रचार सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

7. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वस्तुओं की आकर्षक और स्वीकार्य पैकेजिंग की सुविधा हेतु प्रोत्साहन राशि , प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित एवं प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश में नवोन्मेष, शोध और विकास को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बंध में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी।

8. उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु प्रोत्साहन एवं अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए शासकीय व्यय की व्यवस्था कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के आय-व्ययक में प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

9. कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग होगा तथा कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी होगा।

10. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 इस नीति के पदेन निदेशक होंगे तथा वह राज्य शक्ति प्राप्त समिति के निर्देशन में कार्य करेंगे एवं नीति के क्रियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण हेतु समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए निदेशालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में पृथक सेल बनाया जाएगा, जो नीति के कार्यो के संचालनार्थ, समयबद्ध क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अभिलेखो का रख-रखाव एवं आडिट आदि सम्बन्धित कार्यो को करेगा।

11. **प्रशासनिक व्यय :-** क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन एवं परिवहन मद में आवेदक को स्वीकृत लाभों की धनराशि के 2 प्रतिशत की राशि को प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के रुप में स्टेट नोडल एजेन्सी को प्रदान की जायेंगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जाएगा।

12. विविध

12.1 नीति के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का लेखाशीर्षक वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया जायेगा। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग उक्त लेखाशीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे, लेखा शीर्षक के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तवित करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

12.2 अन्य विभागो से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान सम्बन्धित विभागो द्वारा किये जायेंगे।

12.3 उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के किसी बिन्दु के स्पष्टीकरण देने का अधिकार मूल नीति के प्राविधानों को बिना प्रभावित किये कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन को होगा।

12.4 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपो में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तत किये जाने हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग सक्षम होंगे।

12.5 इस नीति के अंतगर्त नीति की अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2019 के पश्चात के प्रकरणों पर विचार करते हुए नीति के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ@अनुदान/ प्रोत्साहन देय होंगे।

12.6 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 02 /2020/174 /अस्सी -2-2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5-कृषि उत्पाद आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7-स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9-निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

10-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

12-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश एवं गाइडलाइन की 1500 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

समर बहादुर

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure- 1

Application Form

Export based incentive for new processing units near cluster.

S.No.	Particulars	Details		
A.	**Promoters**			
1.	Name & address of the promoter including telephone, fax, e-mail etc.	Name:		
		Address:		
		Aadhar No.		
		Phone:	Fax:	
		Email		
2.	Type of organisation like Govt. Institution /Organisation, Industry Association, University, NGO,Co-operative, others etc.			
3.	Background/credentials of applicant organisation			
4.	Industrial registration For New Unit:			
B.	**Unit Description**			
5.	Name of the unit			
6.	Location/Area of the unit			
7.	Process with complete flow chart			
8.	Technology (Indigenous/ imported)			
9.	Capacity of the Plant/Unit	Existing: Proposed:		
10.	Date of establishing the Unit			
	Date of starting production			
C.	**Unit Details**			
11.	Name of the Agricultural Commodity to be used			
12.	Details of Raw Material purchased.	Date of purchase	Place of purchase	Quantity

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		Note-Details may be furnished in separate sheet.			
13.	Details of product/product to be exported	Raw			
		Processed			
14.	Details of finished product	Quantity of total Raw material used for processing (with Name)		Finished Product quantity (with Name)	
15.	Quantity of the material exported	Quantity Exported in Original Form	Name of Countries	Quantity Exported in processed Form	Name of Countries
		Note-Details may be furnished in separate sheet.			
17.	Total Annual Export Turnover of unit (Fiscal year)				
18.	Export Incentive calculated on the basis of Annual Export Turnover.				
D	**Bank Details**				
26.	1. Name of the Bank 2. Branch Address with contact no. 3. IFSC Code 4. Account no.				

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of the scheme. The proposal may be considered for financial assistance.

Date: **Signature:**

Place: **Name and Designation:**

Seal of the Organization:

NOTE:- Director Agriculture Marketing & foreign trade may direct the applicant to furnish any other documents and information as may be necessary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Annexure-2

(PART-I)

(Letter Head of Chartered Engineer - Mechanical)

Format for Item Wise Details of Plant & Machinery

Name of the Unit :

Location of the Unit:

S. No.	Machinery	Specification	No.	Capacity (input output ratio)
1.				
2.				
3.				
4.				

Certified that i have personally visited the site and examined the plant machineries installed in the factory on dated-------------------. All above plant machineries installed are new & and working satisfactorily. All above machineries are essential and sufficient for the proposed production capacity.

Date______________________

Signature and Seal of Chartered Engineer
(Mechanical)

(PART-II)

(Letter Head of Chartered Accountant)

Name of the Unit :

Location of the Unit :

Certified that i have personally visited the site and examined the inventory of the company. The company purchased ______________ commodity from ______________ and prepared ___________Quantity of __________ finished product. Quantity of original form/finished product ____________ exported to ___________ Countries in fiscal year_______.

Date______________________

Signature and Seal of Chartered Accountant

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure- 3

Application Form

<u>Additional Incentives for Export Oriented Clusters.</u>

S.No.	Particulars	Details		
A.	**FPO/FPC/ Farmer Aggregate**			
1.	Name & address of FPO/FPC/ Farmer Aggregate including telephone, fax, e-mail etc.	Name:		
		Address:		
		Aadhar No.		
		Phone:	Fax:	
		Email		
2.	Type of organization like Govt. Institution /Organization, Industry Association, University, NGO, Co-operative, others etc.			
3.	Background/credentials of applicant organization			
4.	Memorandum of Article of Association/Certificate of Incorporation/ by Laws of Society			
5.	Registration Number of the organization			
6.	Name of Office bearer/Promoter			
7	Number of member farmers with details			
B.	**Details of the Land**			
8.	Total Area of the Clusters under FPO/FPC/ Farmer Aggregate			
6.	Location of the Clusters (Each cluster should have more than 20 ha area)	Village		
		Tehsil		
		District		
7.	Map of the Clusters			
8.	Name of the Crop/Crops to be grown	(A) Annuals/ Seasonal Crops		
		Kharif	Rabi	Zaid
		1.	1. 2.	1. 2.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		2.		
		(B) Perennials/ Orchards 1. 2. 3.		
		Note- Details may be furnished in separate sheet.		
9.	Total productivity of the cluster according to concerned Department			
10.	Total commodity wise Production	1. 2. 3. 4.		
11.	Product to be Exported Raw/ Processed/ Both			
12.	Quantity of Export	1. 2. 3. 4.		
13.	Details of proposed usage of Incentive received			
14.	Scheme/ways to increase the export from the cluster			
D	**Bank Details**			
15.	1. Name of the Bank 2. Branch Address with contact no. 3. IFSC Code 4. Account no.			

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of the scheme. The proposal may be considered for financial assistance.

Date: **Signature:**

Place: **Name and Designation:**

Seal of the Organization:

NOTE:- Director Agriculture Marketing & foreign trade may direct the applicant to furnish any other documents and information as may be necessary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Annexure-4

Declaration

I__________________ son of Sri _______________________ Managing Director/ Partner/ Proprietor for M/s______________________________ address__________________________________ solemnly declare that the particulars given in enclosed application (Annexure-1/ Annexure-3) are correct and true to best of my knowledge and there are no concealed facts. I also undertake that any financial assistance granted to me/my unit on the basis of this declaration shall be liable to refunded to the government if at any time any information furnished is the application is found to be wrong or incorrect or misleading.

Name and Signature of Authorized Signatory

____

Unit/Firm Address

____

____

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-5

Transportation Grant For Agricultural Produce and Processed Products

Application Form

1.	Name of the unit	
2.	Address Tell No Fax E-mail	
3.	Name of the office bearer /Promoter	
4.	Registration no of the APEDA and Date.	
5.	Import export code and Address of issuing DGFT office	

6. Details of Export:-

Date of Export	Name commodity	Weight of Exported products	Name of the countries	Mode of Export	Sl.No. and dates of shipping/Air way bills	Amount of the bills	EGM /EP copy of EGM
TOTAL							

7. Total amount spent on transportation
According to certified C.A Rs…………

8. Actual grant amount applied for Rs………..
(Rs.10/kg. or 25% of actual Air freight charges
Rs.5/kg. or 25% of road or water freight charges)

Enclosures:-

1. Certified copy of IEC- Yes/No

2. Certified copy of registration of APEDA- Yes/No

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. Copy of shipment bill/Air bill- Yes/No

4. Copy of EGM- Yes/No

Signature of the Applicant

Date

Seal of the company

NOTE:- Director Agriculture Marketing & foreign trade may direct the applicant to furnish any other documents and information as may be necessary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-6

Declaration

I__________________ son of Sri _______________________ Managing Director/ Partner/Proprietor for M/s____________________________ address__________________________________ solemnly declare that

1. The particulars given in enclosed application (Annexure 5.) are correct and true to best of my knowledge and there are no concealed facts. I also undertake that any financial assistance granted to me/my unit on the basis of this declaration shall be liable to refunded to the government if at any time any information furnished is the application is found to be wrong or incorrect or misleading.

2. I have not applied/Received any other transportation grant for export from any other institution/Department.

Name and Signature of Authorized Signatory

____

Unit/Firm Address

____

____

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-7

A. Incentive for organizing Degree/Diploma/Certificate Courses in Agriculture Export/Post harvest Management and Technology

Application Form

1.	Name of the Institution/University	:
2.	Address of the Institution/University with Tel. No., Fax & E-mail	:
3.	Name of the VC/Director	:
4.	Name of the course started	:
5.	Academic year of starting the course	:
6.	Year of starting the course & course duration	:
7.	Registration of the Course (Details of reservation if any)	:
8.	Number of Student enrolled in the course with details pertaining to domicile of U.P (as per the selection procedure of eligible students as details submitted under point 4.10 of the guideline)	:
9.	Yearly fees of the course	:
10.	Number of students recommended for scholarship based on course completion certificate or report card	:
11.	Details of the eligible students	:
12	Eligibility criteria for selection of students	:

Declaration

1. The particulars given in above application are correct and true to best of my knowledge and there are no concealed facts. I also undertake that any financial assistance granted to this institution on the basis of this declaration shall be liable to refunded to the

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

government if at any time any information furnished in the application is found to be wrong or incorrect or misleading.

2. The recommended eligible students have not Received any other fee re-imbursement from any other institution/Department.

Signature of the Applicant

Date

Seal of the Institution/ University.

Note:- Director Agriculture Marketing & foreign trade may direct the applicant to furnish any other documents and information as may be necessary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-8

B. One Time Grant to University/Colleges for Starting Export Oriented Higher Studies Program.

Application Form

1. Name of the Institution/University :
2. Address of the Institution /University with Tel. No., Fax & E-mail :
3. Name of the VC/Director :
4. Name of the higher studies program to be started :
5. Academic year of starting the course :
6. Duration year of starting the course :
7. Registration of the Course (Certificate enclosed) :
8. Number of Students :
9. Syllabus of the course :
10. Yearly fees of the course :
11. Details of infrastructure created with the breakup of the cost :

S. No.	Type of Infrastructure	Estimated Cost (in Rs.)	Actual Cost if already setup (in Rs.)

Declaration

The particulars given in enclosed application (Annexure 8.) are correct and true to best of my knowledge and there are no concealed facts. I also undertake that any financial assistance granted to me/my unit on the basis of this declaration shall be liable to refunded to the government if at any time any information furnished is the application is found to be wrong or incorrect or misleading.

Signature of the Applicant
Date
Seal of the Institution/ University.

Note:- Director Agriculture Marketing & foreign trade may direct the applicant to furnish any other documents and information as may be necessary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in